

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): जबलपुर

P.S. (थाना): मझौली

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0022

Year (वर्ष): 2026

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/01/2026 17:12 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

दरमियानी दिन

09/12/2025

13/01/2026

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

12:00 बजे

12:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 20/01/2026

Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 021

Date & Time (दिनांक और समय): 20/01/2026 17:12

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 7 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): श्रीजी वेयर हाउस धनवाही, मझौली

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ब्रिजेश कुमार जाटव

(b) Father's Name (पिता का नाम):

श्री पी एल जाटव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1986

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खाद्य विभाग, कलेक्ट्रेट कार्यालय, जबलपुर, ओमती, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	साउथ सिविल लाइन, जबलपुर, सिविल लाईन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9893285666

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रत्नेश भट्ट /रत्नेश भट्ट		पिता का नाम : स्व श्री अरुण कुमार भट्ट	1. वार्ड नं 15 मझौली ,मझौली , जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

2	अमन सेन/अमन सेन		पिता का नाम : राजकुमार सेन	1. काकरदेही मझौली ,मझौली , जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
---	-----------------	--	-------------------------------	---

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं मझौली में कनिष्ठ अपूर्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, तहसील मझौली अन्तर्गत खरीद विपरण वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत बृहताकर सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित धान उपार्जन केन्द्र कोड 59333262 स्थल श्रीजी वेयर हाउस 136 में खरीदी केन्द्र प्रभारी रत्नेश भट्ट एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर अमन सेन द्वारा बिना धान भरायी तुलाई,सिलाई एवं R2T किये धान की मात्रा 14,934.50 क्वीटल मूल्य 3,53,79,830 रुपये (तीन करोड तिरपन लाख उन्यासी हजार आठ सौ तीस रुपये) की केन्द्र में आवक उपलब्धता के बिना ई उपार्जन पोर्टल पर आनलाईन फर्जी तरिके से अवैध प्रविष्टी कर अनुचित लाभ के उद्देश्य से हेरा फेरी किया गया है जिसकी जाँच संयुक्त कलेक्टर श्री ऋषभ जैन जबलपुर के अध्यक्षता में सदस्य श्री दिलीप हनवत तहसीलदार मझौली, श्री रोहित खरे हल्का पटवारी मझौली,श्रीमति गायत्री आर्मा पटवारी मझौली, चंदशेखर पटले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर तथा मैं संयुक्त रूप से गठित दल द्वारा जाँच कर कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन पर पाये गये तथ्यों के आधार पर श्री ऋषभ जैन संयुक्त कलेक्टर जबलपुर के लिखित हस्ताक्षरशुदा प्रतिवेदन अपराध पंजीबद्ध हेतु पेश करता हूँ कार्यवाही की जावें। नकल आवेदन जेल है कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला- जबलपुर क्रमांक/71/खरीफ 25-26/खाद्य/एफ-2/2026 जबलपुर दिनांक 19/01/2026 प्रति थाना प्रभारी थाना- मझौली जिला- जबलपुर (म.प्र.)। विषय खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में तहसील मझौली अन्तिर्गत बृहताकार सेवा सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित धान उपार्जन केन्द्र कोड 59333262 स्थल- श्रीजी वेयरहाउस 136 में खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के संबंध में विषयान्तरगत क्षेत्रीय कनिष्ठर अपूर्ति अधिकारी श्री ब्रिजेश कुमार जाटव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 16/01/2026 अनुसार दिनांक 13/01/2026 एवं 14/01/2026 को राजस्व विभाग के श्री ऋषभ जैन संयुक्त कलेक्टर, श्री दिलीप हनवत तहसीलदार, श्री रोहित खरे पटवारी, श्रीमति गायत्री आर्मा के साथ श्री प्रशान्त कौरव प्र. उपायुक्त सहकारिता, चंदशेखर पटले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के साथ संयुक्त रूप से तहसील मझौली अन्तर्गत बृहताकार सेवा सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित धान उपार्जन केन्द्र कोड 59333262 स्थल- श्रीजी वेयरहाउस 136 की जांच की गई। मौके पर खरीदी केन्द्र प्रभारी श्री रत्नेश भट्ट

एवं कम्यू33 टर ऑपरेटर अमन सेन उपस्थित रहे। प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त तथ्य एवं अनियमितताएं निम्नानुसार हैं:- 1.ई- उपार्जन पोर्टल अनुसार खरीदी केन्द्र में कुल खरीदी- 65,235.5 क्विंटल धान खरीदी किया जाना पाया गया। खरीदी स्थल श्रीजी वेयरहाउस 136 में दिनांक 13/01/2026 को धान से भरी हुई कुल 31 नग बोरियो की तौल कराने पर बारदाना सहित वजन 22 kg से 38kg पाया गया। उक्त 31 नग धान भरी बोरियों का औसत वजन मात्रा 33.42kg पाया गया। दिनांक 14/01/2026 को पुनः जांच में 45 नग धान से भरी बोरियों की तौल कराने पर औसत वजन 35kg पाया गया। मौके पर तौल सह गणना पत्रक एवं भण्डारण स्थल का नक्शा-पत्रक तैयार किया गया, प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। नियमानुसार एक बोरी का वजन (बारदाना सहित) 40.580kg होना चाहिए। 2.केन्द्र में प्ला न C अंतर्गत मैपिंग हुये श्री जी वेयरहाउस पिपरिया, मझौली में 4125.45 क्विंटल धान (11787 नग बोरी) भण्डारण पूर्ण किया जाना पाया गया चूंकि बोरी की तौल का औसत वजन 35 किलोग्राम पाया गया। जिसमें पूर्व वेयरहाउस के परिदान से क्रमशः प्ला न A जयभवानी वेयरहाउस- 18,950.40 क्विंटल, वेयरहाउस प्ला न B भगवती वेयरहाउस को 22,582.80 क्विंटल भण्डानरित करते हुये कुल खरीदी मात्रा 65,235.54 क्विंटल में से 45658.64 क्विंटल परिदान/भण्डारण पूर्ण किया होना पाया गया। जिसमें 19,576.9 क्विंटल ऑनलाइन शेष परिदान मात्रा पाई गई। जिसका केन्द्र 2 परिसर में उपलब्ध औसत वजन 35 किलोग्राम कुल बोरी नग 13,264 नग- (4,642.40 क्विंटल धान) से भौतिक सत्यापन करने पर उपलब्ध धान मात्रा 14,934.50 क्विंटल कम पाई गई। 3 जांच में धान से भरी बोरियों में किसान कोड एवं स्टैकसिल लगी नहीं पाई गई। 4 मौके पर बारदाना गणना करने पर 87 गठान (500नग) सहित 5000 लगभग खुला बारदाना परिसर में पाया गया। इस प्रकार उपार्जन केन्द्र में 48500 बारदाना पाया गया हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पष्ट (02) 5 दिनांक 14/01/2026 को खरीदी केन्द्र प्रभारी रत्ने श भट्ट एवं कम्यूस् टर ऑपरेटर अमन सेन द्वारा संयुक्ता हस्ताक्षर से ई-उपार्जन पोर्टल पर 174 किसानों की 14505.20 क्विंटल धान खरीदी की एन्ट्री को फर्जी बताया गया तथा डिलीट करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 5 में स्पष्ट है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में तहसील मझौली अन्तर्गत वृहताकार सेवा सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित धान उपार्जन केन्द्र कोड 59333262 स्थोल- श्रीजी वेयरहाउस 136 में खरीदी केन्द्र प्रभारी श्री रत्ने श भट्ट द्वारा केन्द्र में बिना धान भराई, तुलाई, सिलाई एवं R2T किये धान की मात्रा 14,934.50 क्विंटल (मूल्य 3,53,79,830/-रु लगभग) की केन्द्र 3 में आवक/उपलब्धता के बिना ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन फर्जी खरीदी दर्ज कराते हुए, उपरोक्त धान की अवैध प्रवृत्ति कर अनुचित लाभ के उद्देश्य से हेरा-फेरी किया जाना पाया गया है। जोकि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित SOP की कण्डिका 12.3, 12.5.9, 13.1(i), 13.1(ii), 13.1(iii), 13.3.1 एवं 13.3.4 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है। जिसके लिये केन्द्र 1 प्रभारी श्री रत्ने श भट्ट एवं कम्यूस् टर ऑपरेटर श्री अमन सेन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है उक्त दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से 3,53,79,830/- रुपये मूल्य की शासकीय राशि की धान की हेरा-फेरी किया जाना पाया गया है। जोकि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करवाते हुये दोनों आरोपियों के विरुद्ध दण्डानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त अनियमितताओं के फलस्वरूप खरीदी केन्द्र प्रभारी रत्ने श भट्ट पिता स्वा. श्री अरूण कुमार भट्ट पता- वार्ड नं. 15 हरदौल मोहल्ला मझौली मो.न.- 7000169766 एवं कम्यूस् टर ऑपरेटर अमन सेन मो.न.- 8839678200 आधार नम्बर- 960870176842 के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। (कलेक्टर एवं अध्यक्षा जिला उपार्जन समिति द्वारा अनुमोदित) संलग्न कनिष्ठा आपूर्ति अधिकारी का प्रतिवेदन मय संलग्नक मूलतः (ऋषभ जैन) संयुक्ति कलेक्टर जिला- जबलपुर हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पष्ट पृष्ठा . क्रमांक/7/खरीफ 25-26/खाद्य/एफ-2/2026 जबलपुर दिनांक 19/01/2026 प्रतिलिपि 1. आयुक्त , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला- जबलपुर (म.प्र.)। 3 श्री विजेश कुमार जाटव, कनिष्ठा आपूर्ति अधिकारी, मझौली को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय से मूल प्रकरण मय संलग्नक की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर पुलिस थाना मझौली में

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संयुक्त कलेक्टर जिला- जबलपुर हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पष्ट

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।) **or (या)**

(1) **Registered the case and took up the investigation:** NEHRU SINGH KHANDATE(I
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): (Inspector)) /

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**

No. (सं.):

Rank (पद):

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NEHRU SINGH KHANDATE

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

2	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा/सफेद)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20